

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2791] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 17, 2013/अग्रहायण 26, 1935

No. 2791] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 17, 2013/AGRAHAYANA 26, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2013

का. आ. 3680(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ 3043 (अ) तारीख 28 दिसम्बर 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के राजकोट जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8बी के 52.500 कि.मी. से 117.000 कि.मी. तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 22 जनवरी, 2013, को 'डीएनए', 'दिव्य भास्कर' और 'राजस्थान पत्रिका' सभी में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों के अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8बी के 52.500 कि.मी. से 117.000 कि.मी. के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
				उप विभाजन से पहले	उप विभाजन के बाद				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1.	राजकोट	1.घोराजी	(1) घोराजी	841/1P	848/1	निजी	बिनखेती	0.0522	एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटी (मार्केटिंग यार्ड)
				864/P3	864/3 P1	निजी	खेती	0.2252	नरेन्द्रभाई स्वजीभाई भालारा इन्दुमतीबेन नरेन्द्रभाई भालारा
				864/P5	864/5	निजी	खेती	0.0043	नरेन्द्रभाई स्वजीभाई भालारा इन्दुमतीबेन नरेन्द्रभाई भालारा
				865/3P	865/3/P1	निजी	खेती	0.0583	रणछोडभाई माधाभाई केशवभाई माधाभाई कानजीभाई माधाभाई शांताबेन कानजीभाई मंजुलाबेन कानजीभाई ज्योत्सनाबेन कानजीभाई पारुल कानजीभाई विजय कानजीभाई अनीताबेन कानजीभाई चंदुलाल कानजीभाई नानुबेन कानजीभाई ब्रजलाल रानाभाई त्रिभोवनभाई रानाभाई पुष्पाबेन रानाभाई ज्योत्सनाबेन मनसुखभाई महेशभाई मनसुखभाई किरनभाई मनसुखभाई नाबालिक हंसाबेन मनसुखभाई ना वाली ज्योत्सनाबेन मनसुखभाई कांतीभाई बेचरभाई कोयानी
				865/6/P	865/6/P1	निजी	खेती	0.2005	ब्रजलाल नथुभाई
				865/5/P	865/5/P1	निजी	खेती	0.0650	रणछोडभाई माधाभाई केशवभाई माधाभाई कानजीभाई माधाभाई शांताबेन कानजीभाई मंजुलाबेन कानजीभाई ज्योत्सनाबेन कानजीभाई पारुल कानजीभाई विजय कानजीभाई अनीताबेन कानजीभाई चंदुलाल कानजीभाई
									नानुबेन कानजीभाई ब्रजलाल रानाभाई त्रिभोवनभाई रानाभाई पुष्पाबेन रानाभाई ज्योत्सनाबेन मनसुखभाई महेशभाई मनसुखभाई किरनभाई मनसुखभाई नाबालिक हंसाबेन मनसुखभाई ना वाली ज्योत्सनाबेन मनसुखभाई कांतीभाई बेचरभाई कोयानी
							कुल	0.6055	

[फा. सं. भाराराप्रा/11011/गुजरात/राजकोट/एलए]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th December, 2013

S.O. 3680(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3043 (E), dated the 28th December, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 8B in the stretch of land from km. 52.500 to km. 117.000 in the District Rajkot, in the state of Gujarat.

And whereas the substance of the said notification has been published in “DNA”, “Divya Bhaskar” and “Rajasthan Patrika” all of Dtd. 22-1-2013 under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And, further in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the lands specified in the said schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the Land to be acquired with or without structure falling within the stretch of Land from km. 52.500 to km. 117.000 of the National Highway Number 8B in the State of Gujarat.

Sl. No.	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the land owner/Interested person
				Before Partition	After Partition				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rajkot	1. Dhoraji	(1) Dhoraji	841/1P	848/1	Private	Non Agriculture	0.0522	Agriculture Produce Marketing Committee (Marketing Yard)
				864/P3	864/3 P1	Private	Agriculture	0.2252	Narendra Ravjibhai Bhalara Indumatiben Narendra Bhalara
				864/P5	864/5	Private	Agriculture	0.0043	Narendra Ravjibhai Bhalara Indumatiben Narendra Bhalara

				865/3P	865/3/P1	Private	Agriculture	0.0583	Ranchhodbhai Madhabhai Keshavbhai Madhabhai Kanjibhai Madhabhai Santaben Kanjibhai Manjulaben Kanjibhai Jyotsanaben Kanjibhai Parul Kanjibhai Vijay Kanjibhai Anitaben Kanjibhai Chandulal Popatbhai Nanuben Popatbhai Vrujlal Ranabhai Hemkunwarben Ranabhai Labhuben Ranabhai Tribhovanbhai Ranabhai Pushpaben Ranabhai Jyotsanaben Mansukhbhai Maheshbhai Mansukhbhai Kiranbhai Mansukhbhai Minor Hansaben Mansukhbhai gurdian Jyotsanaben Mansukhbhai Kantibhai Becharbhai Koyani
				865/6P	865/6/P1	Private	Agriculture	0.2005	Vrajlal Nathubhai
				865/5P	865/5/P1	Private	Agriculture	0.0650	Ranchhodbhai Madhabhai Keshavbhai Madhabhai Kanjibhai Madhabhai Santaben Kanjibhai Manjulaben Kanjibhai Jyotsanaben Kanjibhai Parul Kanjibhai Vijay Kanjibhai Anitaben Kanjibhai Chandulal Popatbhai

									Nanuben Popatbhai Vrujlal Ranabhai Hemkunwarben Ranabhai Labhuben Ranabhai Tribhovanbhai Ranabhai Pushpaben Ranabhai Jyotsanaben Mansukhbhai Maheshbhai Mansukhbhai Kiranbhai Mansukhbhai Minor Hansaben Mansukhbhai gurdian Jyotsanaben Mansukhbhai Kantibhai Becharbhai Koyani
								Total	0.6055

[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Rajkot/LA]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.